HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 4546/2023
CNR: RJHC020209972023 | URN: CW / 8133U / 2023

Vijay Laxmi Grover W/o Shri Mahendra Kumar Grover, Aged About 57 Years, R/o 214, Malhotra Nagar, Sikar Road, Jaipur (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. Ramniwas S/o Ratiram, R/o Village Bhushan Khurd (Navrangpura), Tehsil Narnol, District Mahendragarh Through Alleged General Power Of Attorney Rohitash Son Of Murlidhar, R/o 1-7, Barf Khana, Sindhi Colony, Bani Park, Jaipur
2. Gulab Badi Bhawan Nirman Sahakari Samiti Ltd., Jaipur Through Chairman, S.d.-191, Shanti Nagar, Hatwara Road, Jaipur
3. Administrator, Gulab Badi Bhawan Nirman Sahakari Samiti Ltd., Jaipur Through Sub Registrar, Cooperative Societies, Jaipur (City), Jaipur
4. Jaipur Development Authority, Jaipur Through Secretary, Ram Kishore Vyas Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur
5. Smt. Usha Kapoor Satsangi, Arbitrator And Regional Audit Officer, Cooperative Societies, Jaipur Division, Jaipur

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Poonam Chand Bhandari with Ms. Pratibha Baresa
For Respondent(s) : Mr. Hansraj Kuldeep, AGC for R.5

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

Date of conclusion of arguments	29.07.2026
Date on which the judgment was reserved	29.07.2026
Whether the full judgment or only the operative part was pronounced	Full judgment
Date of Pronouncement	28.10.2026

याचिकाकार/प्रतिवादी की ओर से यह रिट याचिका अयाचीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा वाद में पारित पूर्व के आदेशों को समाप्त करते हुए अंतिम सुनवाई तिथि 24.03.2023 निर्धारित कर दी गई थी।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 01.02.2013 को अयाची संख्या–1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 58 सोसायटी अधिनियम 2001 उप पंजीयक सहकारी समिति एवं मध्यस्थ जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें याची ने भी अपना जवाब पेश कर दिया। तत्पश्चात् उक्त मामला मध्यस्थ–सह–अंकेक्षण अधिकारी को अंतरित कर दिया गया। कुछ तिथियों तक नियमित उपस्थित होने एवं मामला सुनवाई में नहीं आने के बाद जिन तिथियों को मामला सुनवाई के लिए लिया गया, याची उन तिथियों को उपस्थित नहीं हो सका। बाद में दिनांक 26.02.2015 को मामला क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समिति के पास अंतरित कर दिया गया। परंतु याची को मामला अंतरित करने के पश्चात् कोई नोटिस नहीं दिया गया। मध्यस्थ ने मामले में बिना उसे नोटिस जारी किए सुनवाई प्रारंभ कर दी। विवाद्यक बनने के उपरांत भी प्रतिवादी–याची को कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। इसके बाद मामलों का निर्णय दिनांक 16.06.2015 को एकपक्षीय रूप से कर दिया गया। उसके विरूद्ध याची द्वारा अपील करने पर राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 11.03.2020 को उसकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 16.06.2015 को अपास्त कर मामला पुनः सुनवाई हेतु एवं तीन महीने में निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। इसके पश्चात् मामले की सुनवाई करते हुए क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समिति द्वारा अयाची संख्या–1–वादी को कई अवसर साक्ष्य हेतु दिए और अंततः दिनांक 08.11.2021 को उसकी साक्ष्य बंद कर दी। मामले में अंतिम रूप से सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए परंतु दिनांक 24.02.2022 को, पूर्व की भांति अयाची संख्या–1 पुनः उपस्थित नहीं हुआ। अंत में दिनांक 03.02.2023 को पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर ने मामले में सुनवाई के लिए 24.03.2023 निर्धारित कर दी एवं सुनवाई का अंतिम अवसर

दिया तथा पूर्व के सभी आदेशों को समाप्त कर दिया जो कि पूर्ण रूप से मनमाना एवं विधि विरूद्ध है। इसी आदेश को याचिकाकार ने इस याचिका में चुनौती दी है।

याचिका का उत्तर अयाची संख्या–1 के पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर रोहिताश्व सिंह की ओर से पेश कर यह अंकित किया गया है कि मामला क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर के समक्ष आने पर उसे यह बताया गया था कि सुनवाई आरंभ होने पर उसे सूचित कर दिया जावेगा। परंतु उसे सुनवाई की कोई सूचना नहीं दी गई इसलिए वह विभिन्न दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका। उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए पंच निर्णायक ने याची को लाभ पहुंचाने के लिए बैक डेट में आदेशिका लिखकर उसका याची एवं अन्य अयाचीगण से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया एवं पत्रावली बहस अंतिम में नियत कर दी। उसके द्वारा अयाची संख्या–2 समिति का रिकॉर्ड तलब करने एवं समिति द्वारा दिनांक 06.09.2021 को पेश किए गए फोटो कॉपी दस्तावेज में पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किए जाने पर याची ने राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 13.01.2013 को आदेश पारित कर मामला तीन माह में निस्तारित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की अनुपालना में पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर द्वारा दिनांक 03.02.2023 को न्यायहित में अयाची संख्या–1 को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया जाकर आगामी सुनवाई तिथि 24.03.2023 निर्धारित की है। अयाची संख्या–1 के पक्षकार बनाए जाने एवं अभिलेख तलब किए जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं हो एवं प्रकरण को येन–केन लम्बित रखने के आशय से यह याचिका पेश की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

दोनों पक्षों को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचिकाकार का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 03.02.2023 मनमाना एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि विचाराधीन किसी प्रकरण की कार्यवाही में पूर्व में पारित आदेशों को अचानक से बिना किसी कारण के समाप्त नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेशों के समाप्त करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार का कोई प्रार्थना–पत्र लम्बित नहीं था, न ही कोई पुनराविलोकन प्रार्थना–पत्र किसी भी आदेश पर पुनर्विचार किए जाने के सम्बन्ध में लम्बित था। ऐसी स्थिति में पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय

अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह बिना किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र के ही पूर्व के जो प्रभावी आदेश पत्रावली में चल रहे हैं, उन्हें अचानक समाप्त कर दें क्योंकि उनका प्रभाव प्रकरण के अंतिम निर्णय पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश दिनांक 03.02.2023 को अपास्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अयाचीगण का तर्क है कि पत्रावली में दिनांक 13.01.2013 को प्रकरण का निस्तारण तीन माह में करने के आदेश पारित हुए हैं, जिसे याचिकाकार भी स्वीकार करता है। उनका तर्क है कि राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 13.01.2013 की अनुपालना करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनुपालना में उन्हें प्रकरण में वापस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत है। बैक डेट में दिनांक 08.11.2022 की आदेशिका लिखते हुए उनका साक्ष्य एवं जिरह का अवसर समाप्त किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसलिए उन्हें अपना पक्ष पेश करने का अवसर आलौच्य आदेश से दिया गया है, जो पूर्णतः वैध है। याचिका निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त की जावे।

उभय पक्षों के तर्क सुने। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि मामले में पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर के समक्ष विचारण चल रहा था जिसमें दिनांक 03.02.2023 की तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त दिवस को एकाएक (Abruptly) ही नयी तिथि 24.03.2023 निर्धारित कर पूर्व के सभी आदेशों को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है, जो बिना किसी कारण एवं आधार के किया गया है। ऐसा किया जाने का कोई आधार आदेश में अंकित नहीं है। पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर के पास इस प्रकार पूर्वादेशों को समाप्त करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार की ओर से कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया था। किसी भी पक्षकार की ओर से ऐसा कोई पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना भी अभिलेख से दर्शित नहीं है, जिससे कि पूर्वादेशों को समाप्त किया जा सके। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकार की ओर से आदेशिका में यह अंकित भी करवाया गया है कि वह

पूर्वादेश समाप्त किए जाने के आदेश से सहमत नहीं है। पूर्व में मामले में जो भी आदेश पारित हुए हैं, उनसे याचिकाकार के हित में अधिकारों का सृजन होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आलौच्य आदेश में यह भी अंकित नहीं किया गया है पूर्व के कौन–कौन से आदेश को किस सम्बन्ध में समाप्त किया गया है तथा उन्हें समाप्त करने का क्या कारण व आधार है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से ऐसा आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है और अपास्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः याचिकाकार की ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाती है तथा पंच निर्णायक एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियां जयपुर खण्ड जयपुर का आलौच्य आदेश दिनांक 03.02.2023 अपास्त किया जाता है तथा मामला प्रतिप्रेषित कर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि मामले का निस्तारण विधि अनुसार नियमों में विहित प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुए तीन माह के भीतर करें।

तदनुसार याचिका एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र यदि कोई हों तो उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

S-2/1/AJAY KUMAR SINGHAL